



(☎) 022-22862703)
ईमेल-/e-mail-
usirw@dae.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना
CONTRIBUTORY HEALTH SERVICE SCHEME

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan
छ.शि.म. मार्ग C.S.M. Marg
मुंबई Mumbai - 400 001

No. 201/7(1)/2025/IR&W-CHSS/ 10505

04 सितंबर September, 2026

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय: गर्भावस्था में जेनेटिक डिसऑर्डर को रोकने के लिए ART (असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी) से इलाज के बारे में स्पष्टीकरण – के संबंध में।

Subject: Clarification for treatment through ART (Assisted Reproductive Technology) to prevent Genetic Disorder in Pregnancy – Reg.

उपर्युक्त विषय पर NPCIL के पत्र संख्या NPCIL/HQ/HRP/4(1)/2024/294 दिनांक 24/12/2024 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है।

Reference is invited to NPCIL letter No. NPCIL/HQ/HRP/4(1)/2024/294 dated 24/12/2024 on the captioned subject.

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि NPCIL के प्रस्ताव की समीक्षा IVF से संबंधित मौजूदा CHSS नियमों, विशेष रूप से पञ्चवि के 19.05.2014 के कार्यालय ज्ञापन के तहत की गई थी और इस पर 16.03.2026 को आयोजित CHSS से संबंधित मामलों की शीर्ष शासी निकाय की 5वीं बैठक में चर्चा की गई थी।

In this connection, it is intimated that the proposal of NPCIL was examined in the light of extant CHSS Rules under the provisions of IVF, especially under DAE's OM dated 19.05.2014 and the same was discussed in the 5th meeting of Apex Governing Body for CHSS related matters held on 16.03.2026.

...2/-

:2:

3. इसके अलावा, शीर्ष शासी निकाय की सिफारिश के अनुसार, इस मामले में CGHS और इंडियन रेलवे मेडिकल स्कीम (IRMS) के अधिकारियों से भी सलाह ली गई। साथ ही यह पुष्टि की गई है कि उनकी योजनाओं में 'असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी' (ART) के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

Further as per recommendation of the Apex Governing Body, consultations were also made in the matter with CGHS and Indian Railway Medical Scheme (IRMS) authorities. It has been confirmed that no provisions exist for Assisted Reproductive Technology in their schemes.

4. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि ART, CHSS के अंतर्गत शामिल नहीं है।

In view of the above, it is clarified that ART is not covered under CHSS.

5. यह विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority in the Department.


04.09.2026

(डॉ. राज कुमार झा/ Dr. Raj Kumar Jha)
अवर सचिव (सीएचएसएस) / Under Secretary (CHSS)

श्री सलीम सवार Shri Saleem Sawar,
अतिरिक्त महाप्रबंधक (HRP) Additional General Manager (HRP)
NPCIL, नाभिकीय ऊर्जा भवन NPCIL, Nabhikiya Urja Bhavan
अणुशक्तिनगर, मुंबई Anushaktinagar, Mumbai – 400 094.

प्रति: सभी सीएचएसएस प्रशासनिक इकाइयां
Copy to: All CHSS Administering Authorities.